

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि०न० - 132/2025

अनवान : -

1. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. केकई पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. राकेश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. लिच्छूराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश वैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 18 के किला न० 16/1, 16/2, 17/2, 24/2, 25/1, 25/2 मु० न० 19 के किला न० 20, 21, 22, 23, मु० न० 20 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 13, मु० न० 21 के किला न० 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/2 कुल 5.2480है० नहरी खातेदारी जिसमें नहरी 5.148है०, गै० मु० खाला 0.100है० खातेदारी में केकई के नाम 1/9 हिस्सा, भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा, राकेश के नाम 2/9 हिस्सा व लिच्छूराम के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 15, 16, 25 मु० न० 9 के किला न० 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 2.024है० बाराणी खातेदारी कृषि भूमि में केकई के नाम 1/9 हिस्सा, भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा, राकेश के नाम 2/9 हिस्सा व लिच्छूराम के नाम 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन गांधीबडी खातेदार :- रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 18 के किला न० 16/1 की 0.228है०, किला न० 16/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 24/2 की 0.2370है०, किला न० 25/3 की 0.0996है०, किला न० 17/2 कह 0.2370है०, मु० न० 21 के किला न० 4/2 की 0.224है०, किला न० 5/1 की 0.215है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228है०, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7/2 की 0.2360है० कुल 1.7796है० जिसमें नहरी 1.7046है०, गै० मु० खाला 0.075है०

रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 25/1 की 0.168है० मु० न० 9 के किला न० 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल रकबा 0.6742है० बाराणी।

प्रतिवादी सं०1 केकई पत्नी मनीराम 1/9 हिस्सा व राकेश पुत्र मनीराम 2/9 हिस्सा जाति जाट साकिन गांधीबडी खातेदार :- रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 20 के किला न० 1/2 की 0.186है०, किला न० 8 ता 13 प्रत्येक किला की 0.253है०, कुल रकबा 1.7044है०

रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 25/2 की 0.085है०, किला न० 16 की 0.202है०, मु० न० 9 के किला न० 20 की 0.253है०, किला न० 19/1 की 0.1342है० कुल रकबा 0.6742है० बाराणी।

*Calore*  
न्यायालय भादरा


वादी लिच्छुराम पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन गांधीबडी खातेदार :- रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 18 के किला न० 25/1 की 0.1285है०, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 19 के किला न० 20 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 20 के किला न० 1/1 की 0.0580है०, किला न० 2 व 3 प्रत्येक किला की 0.253है०, कुल 1.729है०, जिरामें नहरी 1.704है०, गै० मु० खाला 0.025है०

रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 15 की 0.013है०, मु० न० 9 के किला न० 10 की 0.1140है०, किला न० 11 की 0.1770है०, किला न० 12 की 0.253है०, किला न० 19/2 की 0.1188है० कुल 0.6758है० बारानी।

चक 3 एसडीआर के मु० न० 20 के किला न० 1/3 की 0.009है०, मु० न० 21 के किला न० 4/3 व 5/4 प्रत्येक किला में 0.013है० कुल 0.035है० प्रस्तावित रास्ता।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। राजीनागा को निर्णय का भाग पढा जावे। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता व भूमि की किस्म यथावत् रखी जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(कल्पि शिवरान)  
R.A.S.  
उपखण्ड, अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

नो. - 132/2025

अनवान :-

1. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।

:-वादी

वनाम

1. केकई पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
2. राकेश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
3. लिच्छूराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीवडी जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री राजेश वैनीवाल वादी

श्री अर्जुन वैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 13/05/2025



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 18 के किला न० 16/1, 16/2, 17/2, 24/2, 25/1, 25/2 मु० न० 19 के किला न० 20, 21, 22, 23, मु० न० 20 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 13, मु० न० 21 के किला न० 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/2 कुल 5.2480 है० नहरी खातेदारी जिसमें नहरी 5.148 है०, गै० मु० खाला 0.100 है० खातेदारी में केकई के नाम 1/9 हिस्सा, भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा, राकेश के नाम 2/9 हिस्सा व लिच्छूराम के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 15, 16, 25 मु० न० 9 के किला न० 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 2.024 है० वारानी खातेदारी कृषि भूमि में केकई के नाम 1/9 हिस्सा, भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा, राकेश के नाम 2/9 हिस्सा व लिच्छूराम के नाम 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये हैं। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्क खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इस प्रकार वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही विनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 4 की तामिल करवाई गई। व प्रतिवादी सं० 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनाम के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जायें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 18 के किला न० 16/1, 16/2, 17/2, 24/2, 25/1, 25/2 मु० न० 19 के किला न० 20, 21, 22, 23, मु० न० 20 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 13, मु० न० 21 के किला न० 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/2 कुल 5.2480 है० नहरी खातेदारी जिसमें नहरी 5.148 है०, गै० मु० खाला 0.100 है० खातेदारी में केकई के नाम 1/9 हिस्सा,

Kalpit

भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा, राकेश के नाम 2/9 हिस्सा व लिच्छुराम के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 15, 16, 25 मु० न० 9 के किला न० 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 2.024 है० वारानी खातेदारी कृषि भूमि में केकई के नाम 1/9 हिस्सा, भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा, राकेश के नाम 2/9 हिस्सा व लिच्छुराम के नाम 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन गांधीबडी खातेदार :- रोही मोजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 18 के किला न० 16/1 की 0.228 है०, किला न० 16/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 24/2 की 0.2370 है०, किला न० 25/3 की 0.0996 है०, किला न० 17/2 कइ 0.2370 है०, मु० न० 21 के किला न० 4/2 की 0.224 है०, किला न० 5/1 की 0.215 है०, किला न० 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 6/1 की 0.228 है०, किला न० 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 7/2 की 0.2360 है० कुल 1.7796 है० जिसमें नहरी 1.7046 है०, गै० मु० खाला 0.075 है०

रोही मोजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 25/1 की 0.168 है० मु० न० 9 के किला न० 21, 22 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल रकबा 0.6742 है० वारानी।

प्रतिवादी सं० 01 केकई पत्नी मनीराम 1/9 हिस्सा व राकेश पुत्र मनीराम 2/9 हिस्सा जाति जाट साकिन गांधीबडी खातेदार :- रोही मोजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 20 के किला न० 1/2 की 0.186 है०, किला न० 8 ता 13 प्रत्येक किला की 0.253 है०, कुल रकबा 1.7044 है०

रोही मोजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 25/2 की 0.085 है०, किला न० 16 की 0.202 है०, मु० न० 9 के किला न० 20 की 0.253 है०, किला न० 19/1 की 0.1342 है० कुल रकबा 0.6742 है० वारानी।

वादी लिच्छुराम पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन गांधीबडी खातेदार :- रोही मोजा चक 3 एसडीआर के खाता सं० 74/69 के मु० न० 18 के किला न० 25/1 की 0.1285 है०, किला न० 25/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, मु० न० 19 के किला न० 20 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० न० 20 के किला न० 1/1 की 0.0580 है०, किला न० 2 व 3 प्रत्येक किला की 0.253 है०, कुल 1.729 है०, जिसमें नहरी 1.704 है०, गै० मु० खाला 0.025 है०

रोही मोजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 139/125 के मु० न० 8 के किला न० 15 की 0.013 है०, मु० न० 9 के किला न० 10 की 0.1140 है०, किला न० 11 की 0.1770 है०, किला न० 12 की 0.253 है०, किला न० 19/2 की 0.1188 है० कुल 0.6758 है० वारानी।

चक 3 एसडीआर के मु० न० 20 के किला न० 1/3 की 0.009 है०, मु० न० 21 के किला न० 4/3 व 5/4 प्रत्येक किला में 0.013 है० कुल 0.035 है० प्रस्तावित रास्ता।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। राजीनामा को निर्णय का भाग पढा जावे। पूर्व में दर्ज गै० मु० खाला रास्ता व भूमि की किस्म यथावत् रखी जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
मंदला जिला हनुमानगढ़